राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

(अपील संख्या–2359/2003)

लादुराम मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 13.07.2023

उपस्थित :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.ए. कट्टा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने अपनी इस अपील में यह कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 23.09.1969 के द्वारा अध्यापक ग्रेड–।।। के पद पर हुई थी। इसके पश्चात अपीलार्थी की पदोन्नति अध्यापक ग्रेड–।। के पद पर आदेश दिनांक 18.10.1982 को हुई। बाद में अपीलार्थी की पदोन्नति प्राध्यापक (Lecturer) के पद पर आदेश दिनांक 10.07.1997 को हुई। राजस्थान सरकार द्वारा आदेश दिनांक 21.01.1992 के द्वारा सभी कर्मचारियों को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूरी होने पश्चात चयनित वेतनमान दिये जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी का प्रथम चयनित वेतनमान 9 वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात दिया गया था। उसके अनुसार अपीलार्थी का वेतन निर्धारण किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी की पदोन्नति प्राध्यापक के पद पर होने के पश्चात अपीलार्थी को वेतन–श्रृंखला 2000–3500 में रखा गया एवं इसके पश्चात अपीलार्थी का वेतन स्थिरीकरण 2300/– में किया गया। वर्तमान में अपीलार्थी की वेतन–श्रृंखला 6500–10500 की गई है। अपीलार्थी ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तिगण घीसाराम गुर्जर, सलीम मोहम्मद को 8 वर्षीय सेवा पूरी करने पर दी गई है, जो 7500–12000 है। इस वेतन श्रृंखला से अपीलार्थी को वंचित रखा गया है, जो उचित नहीं है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन अंकित किया गया है कि 7500–12000/– की वेतन–श्रृंखला प्राध्यापक को 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर दी जाती है। अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 1997 में हुई थी, जो वर्ष 1997–98 की रिक्तियों के विरूद्ध हुई थी। अपीलार्थी को 7500–12000/– की वेतन–श्रृंखला 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर विचार में रखा जा सकता

है। यह भी कथन अंकित किया है कि अपीलार्थी ने जिन व्यक्तियों को कनिष्ठ होना बताया है, वो अध्यापक ग्रेड–।। का पद धारण करते हैं, जिन्हें 8 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चयनित वेतनमान दिया जा सकता है। इस कारण से उन्हें 7500–12000/– की वेतन–श्रृंखला दी गई है।

3. दोनों पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी को उससे कनिष्ठ व्यक्तियों के समान 7500–12000/– की वेतन–श्रृंखला प्रदान की जाये। जिसके विपरीत प्रत्यर्थी विभाग ने कथन किया है कि प्राध्यापकों को वेतन श्रृंखला 6500–10500 में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वरिष्ठ वेतनमान 7500–12000/– देय है। अपीलार्थी की पदोन्नति प्राध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 10.07.1997 को हुई थी। इस प्रकार अध्यापक के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात ही नियमानुसार अपीलार्थी को उच्च वेतन श्रृंखला प्रदान की जा सकती है। अपीलार्थी का यह कथन रहा है कि उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को अपीलार्थी से उच्च वेतन श्रृंखला प्रदान की गई है।

4. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को 27 वर्षीय सेवा पूरी होने पर चयनित वेतनमान के संबंध में पुनः जांच करें एवं यदि प्रत्यर्थी विभाग जांच के पश्चात यह पाता है कि अपीलार्थी पूर्व की दिनांक से चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है तो अपीलार्थी के संबंध में उचित आदेश पारित किये जावें। यदि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को इस प्रकार का लाभ दिया गया है तो वह भी विचार में रखा जावे।

5. उपरोक्त आदेश की पालना 2 माह में की जावें। इस आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)